

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमन्द
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती विन्दू बाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 03/2025

किस्म :- प्रार्थना-पत्र

दायर दिनांक : 01.01.2025

निर्णय दिनांक : 30.10.2025

—:अनवान:—

1. इसराइल खां पुत्र सलीम खां जी जाति मुसलमान (मेवाती) उम्र वयस्क निवासी जगपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. साहिल पुत्र सलीम खां जी जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी जगपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

— प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार महोदय रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज.)
2. अनमोल बी पुत्री मोहम्मद हुसैन जी जाति मुसलमान फकीर उम्र वयस्क निवासी करमाखेडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. अल्लानूर मेवाती पुत्र एवज खान जाति मुसलमान मेवाती उम्र वयस्क निवासी जगपुरा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. कमरुनिसा पत्नि मोहम्मद हुसैन जी जाति मुसलमान फकीर उम्र वयस्क निवासी करमाखेडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. फुना बाई पत्नि स्व. अकबर जी जाति मुसलमान फकीर उम्र वयस्क निवासी करमाखेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
6. मुराद खां पुत्र महबुब खां जाति मेव उम्र वयस्क निवासी जगपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
7. मामुर पुत्र मदारबक्ष जी जाति मुसलमान फकीर उम्र वयस्क निवासी करमाखेडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
8. रुकसाना पुत्री मोहम्मद हुसैन जी जाति मुसलमान फकीर उम्र वयस्क निवासी करमाखेडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
9. रिहाना पुत्री मोहम्मद हुसन जी जाति मुसलमान फकीर उम्र वयस्क निवासी करमाखेडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
10. वसीर पुत्र मदारबक्ष जाति मुसलमान फकीर निवासी करमाखेडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
11. सुलेमान पुत्र मदारबक्ष जाति मुसलमान फकीर निवासी करमाखेडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

.....विपक्षीगण

वास्ते,

तहसीलदार रेलमगरा

जो कि मुल ही हुक्मनामा आपके पास भेजकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी की आ0सं0 52 रकबा 0.0405, आ0सं0 53 रकबा 0.2104, आ0सं0 54 रकबा 0.1942, आ0सं0 55 रकबा 0.4856, आ0सं0 57 रकबा 0.0324, आ0सं0 58 रकबा 0.3642, आ0सं0 59 रकबा 0.2347, आ0सं0 60 रकबा 0.2671, भूमि ग्राम करमाखेडी पटवार हल्का पनोतिया तहसील रेलमगरा आप मौके पर जाकर उभयापक्षकारन की उपस्थिति में यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो एवं मौके पर निर्माण नहीं हो तो राजस्व रेकार्ड खाता एवं नक्शा ट्रेस अनुसार विधिवत रूप से नपती कर पत्थरगढ़ी के वक्त किसी के कब्जे में दखल नहीं करते हुये किसी प्रकार का कब्जा सूपुर्द नहीं किया जावे। फिस पत्थरगढ़ी 2500/- रुपये अक्षरे. दो हजार पांच सौ रुपये प्रार्थी से वसुल कर राज कोष मे जमा करावे। बाद तामिल हुक्मनामा फसल कटाई के पश्चात् पत्थरगढ़ी पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।

यह हुक्मनामा आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

(विन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

